फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

सन्ती देवी पत्नी श्री राम फूल **बनाम** सरकार जरिये एस एच ओ चाकसू

केस संख्या 166 /2024 (गौ वंशीय अधिनियम)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
13-08-2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थिया ने पुलिस थाना चाकसू की एफ आई आर संख्या 483/2021 बाबत अन्तर्गत धारा 5, 8, 9 राजस्थान गो वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्त वाहन संख्या आरजे–14, एल जे–1809 को जमानत सुपुर्दीनामा पर रिलीज किये जाने का अनुरोध किया है। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली व एस.एच.ओ से प्राप्त केश डायरी का भलीभांति अवलोकन किया गया । पुलिस थाना चाकसू की एफ आई आर संख्या 483/2021 में प्रार्थी द्वारा उल्लेखित वाहन संख्या आरजे–14 एलजे–1809 की जब्ती का कोई उल्लेख नहीं है।थानाधिकारी चाकसू से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 1947 दिनांक 28.04.2024 में भी उक्त वाहन की जब्ती का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए वाहन संख्या आरजे–14 एलजे–1809 को राजस्थान गो वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत जमानत सुपुर्दगीनामा पर रिलीज किया जाना न्यायोचित नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थिया सक्षम न्यायालय में चारःजोही करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	

Scanned with OKEN Scanner